प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1.	जिला— भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर थानाः— सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 74/2022 दिनांक 7/3/2022
2.	(1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) २०१८ धाराये :- ७, ७ए
	(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये :- 120बी भादस
	(3) अधिनियम धाराये :
	(4) अन्य अधिनियम व धाराये :- (3) रोजनामचा आम रपट संख्या
3.	
	(ब) अपराध के घटने का दिन :— शनिवार, दिनांक 08.01.2022
	(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक:— 08.01.2022, समय 08.15 ए०एम०
4.	सू <mark>चना की किस्म :- लिखित</mark>
5.	घटनास्थल :-
	(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :— चौकी से दक्षिण में, करीब 152 कि.मी. दूर।
	(ब) पता :- महादेव होटल, राधनपुर-सांचौर हाईवे रोड सांचौर
	(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :
6.	परिवादी / सूचनाकर्त्ता
	श्री भूराराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी कोरना पुलिस थाना
	मण्डली जिला बाडमेर ।
7.	ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :-
	1. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रूडाराम निवासी ग्राम पोस्ट हरयाली तहसील सांचौर
	जिला जालोर हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सांचौर जिला
	जालोर।
	2. श्री गोविन्द महाराज (होटल मालिक) महादेव होटल, राधनपुर—सांचौर हाईवे
	सांचौर। 3. श्री दिनेश पालीवाल (प्राईवेट व्यक्ति)
0	परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कोई नहीं।
8.	
9.	चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :
10.	चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य
11.	पं <mark>चनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)</mark>
12.	विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट
महोदय,	
	हालात इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.2022 को वक्त 08.15 ए०एम० पर
प्रार्थी श्री भुराराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी कोरना पुलिस थान	
मण्ड	ली जिला बाडमेर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीरसिंह राणावत, भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो जालोर के समक्ष उपस्थित उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पेश की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट को पढकर रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के बारे में परिवादी श्री भूराराम से तसल्ली से पूछा गया तो परिवादी श्री भूराराम ने बताया कि मैं भूराराम जाट s/o तेजाराम उम्र 40 वर्ष R/o कोरना थाना मण्डली बाडमेर मोबाईल नम्बर 9829629687. 9929466974 का रहने वाला हूं। मैं जंगीर थ्रेसर कम्पनी में काम करता हूं। दिनांक 6-1-22 सुबह 5 थ्रेसर रायसिंगनगर से सांचौर आए थे जिन्हे नेनावा में उतारना था परन्तु हाईड्रा की व्यवस्था नहीं होने से नेनावा के बजाय मेरी दुकान सांचौर में ही उतार दियें थे मेरी स्वराज ट्रेक्टर ऐजेन्सी मेन रोड पर है तभी उसी समय सेलटेक्स विभाग के अधिकारी श्री नरेश कुमार मोदी आ गए तथा उन्होने मेरे कागज देखते हुए धमकाते हुए कहा कि यह थ्रेसर आपने नेनावा की बजाय सांचौर में उतारकर जीएसटी के नियम तोडे है अतः आपको पेनल्टी / जुर्माना भरना पडेगा तो मैनें पूछा कि कितना जुर्माना भरना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि आपके 24 लाख पेनल्टी बनेगी तो मैने हाथा जोड़ी करते हए कहा कि मैं गरीब आदमी हूं मेरे पास इतने पैसे नही है मेहरबानी करके कम कर दो तो उन्होने कहा कि छः लाख का जुर्माना बना देता हूं। 1.50 डेढ लाख रूपये मुझे खर्चे पानी का दे दो तो मैनें कहा कि मेरे पास ट्रक भाडे का 50,000 पचास हजार रूपये है तो उन्होने कहा कि चल में साढे तीन लाख रूपये की रसीद काटता हूं। 1.5 लाख मुझे दे दो जिस पर मैने हाथा जोडी की कि मैं गरीब आदमी हूं, मैं इतने रूपये की व्यवस्था नही कर सकता हूं मेरा नया नया काम है ओर कम्पनी भी मुझे इसमें मदद नही करेगी तब मुझे उन्होने कहा कि तू सिर्फ मुझे नारीयल के 2.50 लाख रूपये दे दे ओर अपना सामान फटा फट अपने ठीकाने लगा दों तब मैनें कहा कि मेरे पास इतने रूपयो की व्यवस्था नही होगी ओर मैं 2 लाख रूपये आपको दो तीन दिन में दे दूंगा तो मुझे कहा कि मेरी दुकान के पास महादेव भोजनालय के गोविन्द महाराज से जाकर मिल तो मैं उसी समय गोविन्द महाराज से मिलने गया तो मैने उनसे फिर पैसे कम करने की हाथाजोडी की तो उन्होनें मझे लास्ट 2.10 दो लाख दस हजार रूपये रिश्वत देने की बात की। ओर कहा कि मेरे पास पैसे आते ही तू यह थ्रेसर अपने ग्राहको को दे देना उससे पहले हटाना मत। तब मैं महादेव होटल पर जाकर गोविन्द महाराज व दिनेश पालीवाल से मिला ओर उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होने कहा साहब पूरी फीस लेते है वो लम्बा नही खिचते है अभी मैं तेरे पैसो की व्यवस्था कर देता हूं तू फटा फट अपने ग्राहको को दे कर एक दो दिन में पैसो की व्यवस्था कर वापिस दे देना ओर धमकी दी कि चालाकी मत करना तुझे यही रहना है इसके बाद में पैसो की व्यवस्था करने के लिए निकल गया अब गोविन्द मुझे बार बार फोन कर रहा है जिसकी मैं रिकार्डिंग कर ली है तथा पेन ड्राईव में सेव कर ली है। आज दिनांक 8.1.22 को यह रिपोर्ट के साथ पेश कर रहा हूं। मैं श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी को श्री गोविन्द महाराज व दिनेश पालीवाल के मार्फत रिश्वत नही देना चाहता हूं। वह रिश्वत देते समय रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरा नरेश कुमार मोदी व गोविन्द महाराज से कोई पुराना रूपयो का लेन-देन नही है एवं न ही मेरी इन लोगो से वुश्मनी है। रिपोर्ट करता हूं उचित कारवाई कराने का कष्ट करावें। परिवादी ने यह हस्त-लिखित रिपोर्ट स्वयं के हस्तलेखन में लिखी होना बताया तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर भी होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दुष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वतों राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री भुराराम ने यह भी बताया कि दिनांक 06.01.2022 को सुबह मेरे थ्रेसर श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी ने पकड़े थे तथा श्री गोविन्द महाराज व दिनेश पालीवाल के

कहने पर छोड दिये थे। अब श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी सांचौर मेरे से श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेश पालीवाल के मार्फत रिश्वत लेना चाहते है। श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी मेरे से सीधे बात नहीं करके श्री गोविन्द महाराज व दिनेश पालीवाल के मार्फत ही रिश्वत की बात करेगें। मुझे श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेश पालीवाल बार बार फोन करके भी धमकीयां दे रहे है कि हमने साहब को कहकर तुम्हारे थेसर छुडवाये है इसलिए साहब को दो लाख दस हजार रूपये देने की व्यवस्था कर लेना। मैं सांचौर जाकर श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेश पालीवाल से मिलूंगा तो वो मुझे श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी को मेरे थेसर छुडवाने की ऐवज में रिश्वत देने संबंधी जरूर बात करेगें।

परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से उसी रोज कानि0 श्री विक्रमसिंह नं0 556 को परिवादी श्री भूराराम के साथ रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु सांचौर रवाना किया गया। तत्पश्चात् 08.01.2022 को वक्त 05.15 पी०एम० पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुऐ कानि. श्री विक्रमसिंह ने जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज दिनांक 08.01.2022 को गोपनीय सत्यापन हेतु मैं एंव परिवादी श्री भूराराम सांचौर में हाईव पर स्थित महादेव होटल के पास पहुंचे। जिस पर परिवादी श्री भूराराम ने दुर से ही उक्त होटल में उपस्थित एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री गोविन्द महाराज है जो सेल टेक्स विभाग के लिये दलाली का काम करता है। यही मुझे बार बार फोन कर धमका भी रहा है कि तुम्हारे थ्रेसर छुडवाने की ऐवज में साहब को पैसे देने है। जिस पर मन् कानि० ने परिवादी श्री भूराराम को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर श्री गोविन्द महाराज व दिनेश पालीवाल के मार्फत श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप करवाने हेतु रवाना किया। मन् कानि० अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवादी के पुनः आने के इन्तजार में व्यस्त हुआ। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री भूराराम मन कानि0 के पास आया एवं डिजीटल टेप रेकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिस पर मैनें डिजीटल टेप रेकार्डर ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी श्री भूराराम ने मुझे बताया कि श्री गौविन्द महाराज मुझे होटल में ही उपस्थित मिले, जिसने फोन करके श्री दिनेश पालीवाल को भी अपनी होटल पर बुला लिया। दोनो व्यक्ति मेरे से श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी द्वारा मेरे थ्रेसर छोडने की ऐवज में रिश्वत देने की मांग करने लगे तथा कहने लगे कि हमने तो साहब को हवाला के द्वारा पूरे पैसे दे भी दिये है। तू हमें दो लाख दस हजार रूपये की व्यवस्था करके आज ही देगा। जिस पर मैनें श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी से रूबरू मिलकर रूपयों की कम करवाने हेतु कहा तो उन्होंनें कहा कि हम फोन पर तुम्हारी बात साहब से करवा देते है। जिस पर श्री गोविन्द महाराज ने अपने फोन से वॉटसअप कॉल कर श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी से वार्ता करवाई तो मैनें श्री नरेश कुमार मोदी साहब को कहा कि साहब आपके पास पैसे आ गये तो उन्होने हां कहते हुए सहमित दी। जिस पर मेरे द्वारा कहा गया कि साहब दो लाख दस हजार रूपये में से कम कर दो तो उन्होंनें मिलकर कुछ करने का कहा तथा रिश्वत राशि श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेश पालीवाल को देने हेतु कहा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि० श्री विक्रमसिंह को निर्देशित किया कि टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुनकर परिवादी के कथनो की ताईद होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे। जिस पर कुछ समय पश्चात ही कानि० श्री विक्रमसिंह ने जरिये मोबाईल बतायां कि मैने डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के

4

कथनों की ताईद हुई तथा श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई है तथा साथ ही यह भी बताया कि श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी ने उक्त रिश्वत राशि श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेश पालीवाल को देने हेतु कहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि० श्री विक्रमसिंह को निर्देशित किया कि श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी के कहेनुसार श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेश पालीवाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,10,000 रूपये परिवादी से व्यवस्था करवाकर ब्यूरों कार्यालय जालोर में उपस्थित आवें।

तत्पश्चात् आईन्दा ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहन की आवश्यकता होने से सयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जालोर के नाम श्री आदूराम कानि. नं. 142 को एक तहरीर देकर गवाहान तलब कर लाने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त फिकरा के गये हुऐ श्री आदूराम कानि. मय दो स्वतन्त्र गवाह ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आये। उपस्थित गवाहन का मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होंने अपना नाम श्री महावीरसिंह पुत्र श्री भगवतसिंह जाति राजपूत उम्र 51 वर्ष, निवासी सांगरिया पुलिस थाना लोसल जिला सीकर हाल पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग जालोर जिला जालोर व श्री झाबरमल पुत्र श्री भागीरथिसंह जाति जाट उम्र 27 वर्ष, निवासी गंगासागर पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग जालोर जिला जालोर होना बताया। तत्पश्चात् उपस्थित गवाहान को यहां आने के मन्तव्य से अवगत कराकर दिनांक 10.01.2022 को वक्त 09.00 ए०एम० पर ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। साथ ही ब्यूरो जाप्ता को भी दिनांक 10.01.2022 को वक्त 09.00 ए०एम० पर ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित होने की हिदायत दी गई।

दिनांक 09.01.2022 वक्त 12.30 पी०एम० पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुये श्री विक्रमसिंह कानि० नं० 556 व परिवादी श्री भूराराम कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये तथा श्री विक्रमसिंह कानि. ने टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया तथा साथ आये परिवादी ने बताया कि हम दोनों आपके कार्यालय से खाना होकर महादेव होटल सांचीर के पास पहुँचे। जहां पर श्री विक्रमसिंह कानि० ने डिजीटल टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द कर श्री गोविन्द महाराज से वार्ता करने हेतु महादेव होटल में भेजा, जहां मुझे गोविन्द महाराज होटल में ही मिले। उन्होने अपने स्त्र पर फोन करके श्री दिनेश पालीवाल को भी वही पर बुला लिया तथा दोनो जनो मेरे से श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी को रिश्वत देने का दवाब बनाने लगे तथा कहने लगे कि हमनें साहब को हवाला के द्वारा पूरा पैसा दे दिया है। जिस पर मैनें कहा कि आप मुझे श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी के पास लेकर चलो तो उन्होने फोन से वॉट्सअप कॉल करके श्री नरेश कुमार मोदी साहब से वार्ता करवाई तो मैनें श्री नरेश कुमार मोदी साहब को उक्त दोनो द्वारा उन्हें दो लाख दस हजार रूपये देने बाबत् पूछा तो उन्होनें हां कहकर सहमित दी तथा मैनें उनसे कुछ राशि कम करवाने की गुजारिश की तो उन्होनें मिलकर बात करने तथा रूपये इन लोगों को देने की वार्ता की। उक्त वार्ता होने के पश्चात मैंनें होटल के बाहर आकर श्री विक्रमसिंह कानि. को टेप रिकार्डर सुपुर्द किया। उन्होने टेप रिकार्ड की ऑफ कर अपने पास रखा। उपरोक्त वार्ता उक्त रिकॉर्डेर में रिकार्ड है। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्तालाप को रिवर्स कर सुना तो रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होते हुये परिवादी के कथनों की ताईद हुई। उक्त वार्तालाप की ट्रांसिकप्ट आईन्दा मुर्तिब करने का निर्णय

लिया गया। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 10.01.2022 को करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात्

प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर परिवादी को दिनांक 10.01.2022 को प्रातः 09.00 बजे कार्यालय में उपस्थित आने बाबत रूखसत किया गया।

दिनांक 10.01.2022 वक्त 09.00 ए०एम० पर पूर्व पाबन्द शूदा दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो स्टाफ कार्यालय में उपस्थित आये। कुछ समय पश्चात् पूर्व पांबद शुदा परिवादी श्री भूराराम ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में उपस्थित दोनो स्वंतत्र गवाहन का परिवादी श्री भूराराम से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया व पढाया गया तथा परिवादी एंव आरोपी के मध्य दिनांक 09.01.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है को स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पृछताछ कर तरसली कर ट्रेप कार्यवाहीं में स्वतंत्र गवाहन बनने की सहमति प्रदान की एवं परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री भूराराम से आरोपी श्री नरेश कुमार मोदी के कहेनुसार श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेशा पालीवाल को रिश्वत में दी जॉने वाली राशि 2,00,000 रूपये पेश करने हेतु कहा गया तो उसने अपनी जेब में से दौ-दौ हजार रूपये के कुल सौ नोट कुल 2,00,000 रूपये पेश किये। जिस पर परिवादी श्री भूराराम व गवाहान के रूबरू फर्द पेशकशी एवं सपदर्गी नोट एवं सोडियम कार्बोनेट व फिनोफथलीन पाउडर की किया प्रतिकिया का दृष्टान्त दिया जाकर दिनांक 10.01.2022 को ट्रेप कार्यवाही के प्रयास किये गये किन्त मध्यस्थ श्री दिनेश पालीवाल व श्री गोविन्द महाराज से रिश्वती राशि का आदान प्रदान नहीं हो सका।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही आईन्दा मुर्तिब किये जाने का निर्णय लिया जाकर मन् महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहन मय हमरायान के भ्रनिब्यूरो चौकी जालोर के लिये खाना होकर भ्रनिब्यूरो चौकी जालोर पहुंचे। तत्पश्चात् परिवादी श्री भूराराम एव आरोपी श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी, मध्यस्थ श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेश पालीवाल के मध्य दिनांक 08.01.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी. डी. तैयार कर एक को मूल मानते हये कपड़े की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी व श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेश पालीवाल की आवाज की पहचान परिवादी श्री भूराराम द्वारा की गई। रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्ता की एक शिल्ड श्दा सी.डी एक व एक डब सी.डी. मालखाना प्रभारी हैड कानि० श्री सुखाराम नं० 96 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही में आज अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से दोनो स्वतंत्र गवाहों को कार्यालय से रूखस्त दी गई। परिवादी श्री भूराराम को हिदायत की गई कि आरोपी श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी व सह आरोपी श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेश पालीवाल द्वारा उससे सम्पर्क करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करावें। साथ ही अब की कार्यवाही की गोपनीयता रखी जावें। तत्पश्चात परिवादी श्री भूराराम को भी रूखस्त दी गई।

दिनांक 17.01.2022 वक्त 11.00 ए०एम० पर परिवादी श्री भूराराम ब्यूरो कार्यालय जालोर में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया एवं बताया कि दिनांक 10.01.2022 के पश्चात कई बार मैने श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी व श्री गोविन्द महाराज व श्री दिनेश पालीवाल से सम्पर्क करने की कोशिश की

परन्तु उनसे सम्पर्क नहीं हो पाया। मेरे किसी परिचित से श्री गोविन्द महाराज व दिनेश पालीवाल ने सम्पर्क किया तथा कहा है कि मैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करवाना चाहता हूं। इसी कारण वो लोग मेरे से बातचीत करने में आनाकानी कर रहे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एसीबी की कार्यवाही की उन लोगो को भनक लग गई है अब वह मेरे से रिश्वती राशि ग्रहण नहीं करेगे। तत्पश्चात परिवादी के बताऐ गये कथनों से उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम नं० 96 से लिफाके में बन्द रिश्वती राशि 2,00,000 रूपये को मालखाना से निकालकर नोटो पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर को तसल्ली से साफ कर परिवादी श्री भूराराम को सुपूर्व कर पृथक से प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त ट्रेप कार्यवाही में अब अग्रिम सफलता नहीं मिलने से परिवादी श्री भूराराम को रुखस्त दी गई।

आरोपी आरोपी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रूडाराम निवासी ग्राम पोस्ट हरयाली तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सांचौर जिला जालोर द्वारा लोक सेवक होते हुए पद का दुरूपयोग कर मध्यस्थ श्री गोविन्द महाराज (होटल मालिक) व श्री दिनेश पालीवाल के मार्फत परिवादी श्री भूराराम के रायसिंहनगर से लाये हुए थ्रेसर को जीएसटी नियमों के तहत जुर्माना/पेनल्टी नहीं करने की ऐवज में दौरान मांग सत्यापन दिनांक 08.01.2022 को 2,10,000 रूपये की मांग करना अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 व 120बी भा.द.स.का अपराध कारित करना पाया गया हैं।

अतः श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रूडाराम निवासी ग्राम पोस्ट हरयाली तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सांचौर जिला जालोर, श्री गोविन्द महाराज (होटल मालिक) महादेव होटल, राधनपुर—सांचौर हाईवे सांचौर व श्री दिनेश पालीवाल (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 व 120बी भा.द.स. का प्रथम दृष्ट्या अपराध कारित किया जाना पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

(डा० महावीरसिंह राणावत) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1.श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रूडाराम, निवासी ग्राम पोस्ट हरयाली तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त सांचौर, जिला जालोर, 2.श्री गोविन्द महाराज (होटल मालिक) महादेव, राधनपुर-सांचौर हाईवे, सांचौर एवं 3.श्री दिनेश पालीवाल (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 74/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कमांक: 676-80 दिनांक 07.03.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. आयुक्त<mark>, वा</mark>णिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर